न्यायालयः – द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांकः 115 / 2009 संस्थित दिनांक-12 / 5 / 2009

हाकिमसिंह, पुत्र-निरंजनसिंह, उम्र–29 साल, निवासी ग्राम निवरोल, थाना गोहद जिला भिण्ड वि रू द्ध

-अपीलार्थी / आरोपी

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र गौहद, जिला–भिण्ड (म०प्र०) –——प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री बी०एस०बधेल अपर लोक अभियोजक अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री अशोक राणा अधिवक्ता

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक-895 / 2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 29.04.2009 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 5 अगस्त, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

अपीलार्थी / आरोपी हाकिमसिंह की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा–374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 895/2006 निर्णय दिनांक-29/04/09 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को हरीराम को आई चोटों के संबंध में धारा–279 भा0दं0सं0 के अपराध में तीन माह का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 338 भा०दं०ंसं० के अपराध में 06-माह के सश्रम कारावास और 500 / रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

प्रकरण में यह निर्विवादित है कि, आरोपी/अपीलार्थी हाकिमसिंह 02-राणा जाट जाकर का होकर ग्राम निवरोल तहसील गोहद का रहने वाला है और साक्षीगण पहले से उसे जानते हैं। उसकी गिरफतारी व मोटरसाईकल कमांक एम.पी.07 / के.एल.-9213 उससे पुलिस द्वारा जब्त की गई है और मोटरसाइकल का पंजीकृत स्वामी नवलसिंह पुत्र जण्डेलसिंह जाट निवासी निवरोल तहसील गोहद हाल निवासी पिण्टोपार्क ग्वालियर है।

03— अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक—10.08.2006 को सुबह 10:30 बजे फरियादी सत्यनारायण शर्मा ने थाना गोहद पर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह सुबह सात सवा सात बजे के करीब वह तथा उसके पाता ट्यूबेल पर हार में जा रहे थे। तभी आरोपी हािकमिसिंह अपनी मोटरसायकल कमांक एम.पी.07 / के0एल0—9213 को तजी व लापरवाही से चलाकर आया और उसके पिता को टक्कर मार दी जिससे उसके पिता के दांये पैर की जांघ में मुंदी चोट आई और सिर के पीछे की तरफ भी चोट आई। मौके पर रामअवतार शर्मा आ गये जिन्होंने घटना देखी है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में आरोपी / अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध कमांक 123 / 06 कायम कर मामला विवेचना में लिया गया आहत ं का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा—279, 337 एवं 338 भा0दं०सं० के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी को निर्णय की कंडिका— 1 के अनुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।

अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तृत किए गये अपीलीय ज्ञापन 05-में मूलतः यह आधार लिया है कि घटना के संबंध, में अभियोजन साक्षियों के कथनों में काफी विरोधाभास है, पुलिस कथनों एवं न्यायालयीन कथनों में भी विरोधाभास आया है, एवं फरियादी की की रिपोर्ट व उसके कथन में भी विरोधाभास है । इन विरोधाभासों को नजर अंदाज कर मनमाने तरीके से साक्ष्य का विवेचन करके आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । आहत हरीराम ने स्वमं प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाई है। अभियोजन के सभी साक्षी हितबद्व साक्षी होकर आपस में रिश्तेदार हैं। आरोपी अपने नाम के आगे कोई उर्फ नहीं लगाता है। हाकिमसिंह अलग व्यक्ति है और पिण्टू अलग व्यक्ति है। पिण्टू को छोडते हुए आरोपी को गलत रुप से फंसाया गया है। घटना के प्रत्य क्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास है। उपरौक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी / आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

06-

बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं। साथ ही उदारतापूर्ण रुख अपनाये जाने एवं आरोपी/अपीलार्थी को दोष मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है। जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि वर्तमान में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटओं को देखते हुए अपीलार्थी/आरोपी को विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे।

- 07— अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :--
- 1— ''क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?''
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

-::- निष्कर्ष के आधार -::-

- 08— अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य निर्णय का अवलोकन किया। बचाव पक्ष अघिवक्ता व अति0लोक अभियोजक के तर्को पर मनन किया गया।
- 09. जहाँ तक बिन्दु क्रमांक—1 का संबंध है उसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पर आई साक्ष्य में घटना के आहत हरीराम (आ0सा04) उसके पुत्र सत्यनारायण (आ0सा01) और रामअवतार (आ0सा05) सभी ग्राम पिपरसाना के निवासी हैं और आपस में रिश्तेदार हैं।अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क है कि तीनों साक्षीगण हितबद्व होकर साक्ष्य देते है, इसलिए उन्हें अविश्वसनीय माना जावे। उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने भरोसा करके विधिक त्रुटि की है। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक का तर्क है कि उक्त तीनों ही साक्षी घटना के महत्वपूर्ण साक्षी होकर आहत व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, इसलिए रिश्तेदार होने के आधार पर उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 10. उपरौक्त तीनों साक्षी अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, 4 व 5 एक ही जित के हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 व 4 पिता—पुत्र अवश्य हैं और अभियोजन साक्षी क्रमांक—5 की गांव नाते उनसे हितबद्वता अवश्य है किन्तु केवल रिश्ते के साक्षी होने से गांव नाते हितबद्वता के कारण उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन के कथनानुसार सत्यनारायण और रामअवतार दोनों

ही घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। इसलिए बचाव पक्ष का किया गया तर्क विधिक महत्व नहीं रखता है और स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। यह अवश्य है कि रिश्ते के बिन्दु को देखते हुए उक्त साक्षियों की साक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक हस्तगत प्रकरण में हो चुका है।

- 11— अभियोजन कथानक के अनुसार आहत हरीराम अपने गांव से खेत के लिए पैदल जा रहा था उसका पुत्र सत्यनारायण पीछे जा रहा था औार रामअवतार भी पीछे था। तब आरोपी/अपीलार्थी का ग्राम चितौरा की तरफ से मोटरसाइकल से आकर दुर्घटना कारित करना बताया है। प्रदर्श पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट मोटरसाईकल क्रमांक एम.पी.07/के.एल.9213 के चालक के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। आरोपी/अपीलार्थी ने उक्त मोटरसाइकल उससे जब्त होना स्वीकार किया है किन्तु झूंठे केस में जब्त होना बताया है, जिसे आगे विश्लेषित किया जा रहा है।
- अभियोजन की और से परीक्षण किए गये साक्षियों में से डा० आलोक शर्मा (आ०सा०२) ने अपनी अभिसाक्ष्य में दिनांक 10.08.2006 को सी०एस०सी० गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुये पुलिस द्वारा लाये जाने पर आहत हरीराम की चोटों का परीक्षण करना बताया है, जिसमें हरीराम के सिर में पीछे की ओर 3 गुणा 6 से0मी0 की रगड कर निशान पाया था तथा जांध में विकृति थी, जिसके एक्स-रे की सलाह दी गई थी। दोनों चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से संभव बताते हुए परीक्षण से 12 धण्टे के भीतर की बताई हैं। सिर की चोट साधारण प्रकृति की बताई है और प्रदर्श पी-3 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए उसी दिन आहत के दाहिनी जांध का एक्सरे परीक्षण करने पर फीमर नाम हड्डी में अस्थिभंग बताया है। घटना भी दिनांक 10.08. 2006 की ही प्रदर्श पी–8 के अनुसार सुबह 7:10 बजे की बताई है।आहत का मेडीकल परीक्षण सुबह 10:30 बजे हुआ, जिससे यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को आहत हरीराम को उपरोक्त चोटें शरीर पर विद्यमान् थीं। चिकित्सक ने आहत को 62 वर्षीय बृद्ध व्यक्ति होने के कारण गिरने पर भी उक्त प्रकार की चोटें होने की संभावना प्रकट की है, किन्तु मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितियों से देखना होगा कि आहत को पाई गई चोटें किसी दुर्घटना के फलस्वरुप आई अथवा स्वतः गिरने से आई? अभिलेख पर बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसे में स्वतः गिरने की संभावना प्रकट नहीं होती है।
- 13. आरोपी / अपीलार्थी ने अपने 313 द0प्र0सं0 के तहत दिए गये परीक्षण में यह कहा है कि उसका नाम केवल हािकमसिंह है और पिण्टू जाट नाम का अलग व्यक्त है, जो उसके गांव में रहता है तथा उसे किसी अन्य नाम से नहीं बुलाया जाता है और उसने कोई एक्सीडेन्ट नहीं किया, लेकिन जिस पिण्टू जाट को अलग बताता है उसे बचाव साक्षी के रुप में पेश नहीं किया गया है। ऐसे में

अभियोजन साक्ष्य से ही यह भी निष्कर्षित करना होगा कि अपीलार्थी / आरोपी हाकिमसिंह और पिण्टू एक ही व्यक्ति है या अलग-अलग व्यक्ति हैं। इस सबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधीवक्ता द्वारा साक्षी रामअवतार (आ0सा05) की साक्ष्य पर अधिक बल दिया गया है, जिसने अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा–1 में दुर्घटना करने वाले को पिण्टू उर्फ हाकिमसिंह निवासी निवरोल के रुप में पहचान करके बताया है और उसका ऐसा भी कहना है कि जब दुर्घटना हुई थी तब आरोपी उसके पास से निकला था तो उसने पहचान लिया था। उसकी साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अपीलार्थी/आरोपी हाकिमसिह और पिण्टू अलग–अलग व्यक्ति प्रकट होते हों और यह संभव है कि उक्त साक्षी आरोपी को पिण्टू के नाम से भी जानता हो क्योंकि आरोपी/अपीलार्थी की ओर से कही गई इस बात का कि पिण्टू जाट ग्राम निवरोल में अलग रहता है और उसका कोई उर्फ नाम नहीं है, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है तथा कथानक में भी अनुसंधान के दौरान आरोपी/अपीलार्थी पिण्टू उर्फ हाकिमसिंह राणा के रुप में ही गिरफतार किया और उसकी मोटरसाइकल जब्त की गई तथा मोटरसाइकल की जब्ती प्रदर्श पी-6 में आरोपी का दुध बैंचने का व्यवसाय बताया गया है तथा रिपोर्टकर्ता सत्यनारायण (आ०सा०1) ने भी पैरा–3 में आरोपी की मोटरसाईकल के पीछे दूध की टंकी रखी हुई होना कहा है, जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है तथा विवेचक प्रधान आरक्षक भोलाराम पुरोहित (आ0सा03) ने भी प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष की ओर से दिए गये सुझावों में विवेचक ने यह स्पष्ट कहा है कि हाकिमसिंह का दूसरा नाम पिण्टू है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि वह आरोपी को पिण्टू के नाम से नहीं जानता था।

- 14. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में आरोपी / अपीलार्थी की ओर से वर्तमान अधिवक्ता द्वारा पेश किए गये अभिभाषक पत्र में भी हािकमसिंह उर्फ पिण्टू पुत्र निरंजनसिंह राणा नाम विल्दियत अंकित की गई है और उसके मुचलका में भी ऐसा ही अंकित किया है।इसिलए यह तर्क कि पिण्टू अलग है और आरोपी हािकमसिंह अलग है, स्वीकार योग्य नहीं है तथा न्यायालयीन अभिलेख का न्यायिक नौटिस धारा 57 साक्ष्य विधान के तहत लिया जा सकता है।
- 15. जहाँ तक मूल घटना का प्रश्न है आहत हरीराम (आ0सा04), रिपोर्टकर्ता सत्यनारायण (आ0सा01) और रामअवतार (आ0सा05) ने आरोपी को पहचाना है तथा दुर्घटना के संबंध में एक जैसी साक्ष्य दी है। आहत हरीराम ने यह स्पष्ट रुप से कहा है कि वह और सत्यनारायण गांव से हार में खेतों पर पैदल जा रहे थे तब चितौरा की तरफ से आरोपी मोटरसाइकल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और उसने आकर उसे टक्कर मार दी थी जिससे उसके दाहिनी जांध में और सिर में चोटें आई थीं, उसके पीछे सत्यनारायण तथा स त्यनारायण के पीछे रामअवतार थे जिन्होने घटना देखी फिर उसने थाना गोहद

में रिपोर्ट की थी जहाँ से उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था जहाँ उसका इलाज हुआ था। उसने सुबह सात बजे की घटना बताई है लेकिन उसके कथन प्रदर्श डी–2 के पुलिस कथन के दौरान नाम लिखा देना कहा है, जो कि नहीं है। उसने पैरा–2 में यह स्पष्ट किया है कि वह चितौरा से वांये हाथ की तरफ जा रहा था और मोटरसाइकल बीच रोड पर चितोरा तरफ से लहराती हुई आई थी।लहराते हुए आने का कोई खंडन उसकी साक्ष्य से नहीं होता है और लहराती हुई मोटरसाइकल का चलना ही अपने आप में उतवलेपन का द्योतक है। आहत की अभिसाक्ष्य का समर्थन रिपोर्टकर्ता सत्यनारायण (आ0सा01) और रामअवतार (आ0सा05) ने भी स्पष्टतः किया है और दुधर्टना देखना भी बताया है क्योंकि सत्यनारायण के अनुसार दवह 10-15 कदम पीछे ही था। उसने पैरा–2 में अपने पिता का रोड के किनारे अपनी साईड पर जाना बताया है तथा पैरा–3 में पहले उसने आरोपी का वांये हाथ पर मोटरसाइकल चलाना फिर दांये हाथ पर चलाना कहते हुए रोड के किनारे नीचे आकर टक्कर मारना बताया है। पैरा4 में मोटरसाइकल की स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रतिधण्टा की रफतार बताई है ओर नम्बर प्लेट मोटरसाईकल के आगे व पीछे लगी होना बताया है।अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 का पैरा 4 में दिए गये इस सुझाव से भी घटना की पुष्टि होती हुई है जिसको यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी मोटरसाइकल को तेजी व लापरवाही से नहीं चला रहाथसा और रोड पर गड़डे था तथा आरोपी ने होर्न दिया था तथा उसके पित से जाकर टकरा गया था, उक्त सुझावों को उसने गलत बताया है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मौटरसाइकल का चालन दुर्घटना के समय आरोपी / अपीलार्थी द्वारा ही किया जा रहा था। हालॉकि उक्त सुझाव से आरोपी / अपीलार्थी ने स्तर पर सावधानी के नियम कबा अनुपालन करना प्रकट किया है लेकिन उसे यह संभवतः आधार नहीं बना पाया है क्योंकि एक ओर तो वह स्वयं के द्वारा मोटरसाइकल से दुर्घटना कारित नहीं किया जाना कहता है और दूसरी ओर हार्न बजाकर सावधानी प्रकट करना बताता है। ऐसे में उसकी किसी बात को विधिक बल प्राप्त नहीं होता है।अभिलेख पर ऐसा कोई या पारिस्थिति भी नहीं है जिससे किसी पूर्ववर्ती कारण से आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध दुर्घटना की रिपोर्ट की गई हो। ऐसे में असत्य रुप सणे अभियोजित किराये जाने का लिया गया आधार भी बेबुनियाद हो जाता है और अभियोजन साक्षी क्रमांक-1, 4 व 5 पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी हो जाते हैं, जिन्हें विश्वसनीय मानकर दोषसिद्वी करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधि या तथ्य की भूल या त्रुटि नहीं की गई है।

16. प्रदर्श पी—1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट वगैर किसी अनुचित विलम्ब के है जो अभियोजन साक्षी क्रमांक—1 की साक्ष्य से प्रमाणित कराई गई है। शेष विवेचना प्रधान आरक्षक भौलाराम (आ0सा03) ने प्रमाणित की है जिसमें वह आहत हरीराम की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 तैयार करना बताता है। प्रदर्श पी—2 में दुर्घटना चितौरा से ग्वालियर को जाने वाले

लोकमार्ग पर बताई है और घटना स्थल बाबत कोई अन्य स्थिति प्रकट नहीं हुई है। ऐसे में दुर्घटना लोकमार्ग पर होना भी प्रमाणित है। आरोपी/अपीलार्थी से जब्त हुआ वाहन मोटरसाइकल क्रमांक ए<u>मपी.07 / क</u>ोएल0—9213 मोटर यान अधिनियमक 1988 में परिभाषित वाहन की श्रेणी में आता है और अभियोजन साक्षी क्रमांक-1, 4, व 5 की साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा ही उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर हरीराम को टक्कर मारी गई जिससे उसे गभीर उपहति कारित हुई। थोडी देर के लिए यदि ऐसा मान भी लें कि आरोपी / अपीलार्थी यातायात नियम के तहत वांये हाथ पर चल रहा था तब भी यदि कोई बृद्व व्यक्ति रोड पर कर रहा हो तो उसे ओर अधिक सावधानी बरतना चाहिए, किन्तु जिस तरह की साक्ष्य अभिलेख पर आई है उससे आरोपी के द्वारा सावधानी के नियमों का पालन किया जाना भी परिलक्षित नहीं होता है।ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी दुर्घटना के लिए धारा 279 और 338 भा0दं०सं० के तहत दोषसिद्व कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः दोषसिद्वी के बिन्द् पर आरोपी/अपीलार्थी की प्रस्तृत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाती है और वाद विचार दोषसिद्वी की पुष्टि करते हुए इस बिन्दु पर अपील निरस्त कर बिन्दु क्रमांक-1 को अभियोजन के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

- 17. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है जिसके संबंध में वैकल्पिक रुप से आरोपी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आरोपी / अपीलार्थी का गृहस्थ और ग्रामीण परिवेश में प्रथम अपराधी होने से उसे नम्र रुख अपनाते हुए केवल अर्थदण्ड से दंडित करने की प्रार्थना की है और गरीब मजदूर बताते हुए न्यूनतम अर्थदण्ड की प्रार्थना की है, जिसका अभियोजन की ओर से ए०जी०पी० द्वारा विरोध किया गया है।
- 18. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अपराध की प्रकृति, परिस्थितियाँ, आहत की चयोट पर विचार किया। मूल अभिलेख का परिशीलन करने पर यह विदित है कि आरोपी / अपीलार्थी कि विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धी का कोई प्रमाण नहीं है जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है और दुर्घटना में एक बृद्ध व्यक्ति को टक्कर लगने से उसकी जांध की फीमर नामक हड्डी टूट गई। घटना वर्ष 2006 की है और 2006 से ही उसके प्रकरण का विचारण हुआ है और करीब 8 वर्ष का समय इस दौरान व्यतीत हुआ है तथा यह भी व्यक्त किया गया है कि आहत के द्वारा क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की जा चुकी है। उक्त समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आरोपी / अपीलार्थी को धारा 279 भाठदंठंसंठ में दिया गया तीन माह का सश्रम कारावास और धारा 338 भाठदंठंसंठ में दिया गया 6 माह का सश्रम कारावास कठोर दण्ड प्रकट होता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी / अपीलार्थी को न्यायालय उठने तक के दण्डादेश एवं अर्थदण्ड में

अभिवृद्धि करते हुए तथा पीडित को प्रथृक से क्षतिपूर्ति दिलाई जाकर न्यायिक मंशा की पूर्ति संभव है।

19. फलस्वरुप दण्डादेश के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर आरोपी/अपीलार्थी को धारा 279 भाठदंठंसंठ में 3 माह और धारा 338 भाठदंठंसंठ में 6 माह के कारावास को अपास्त कर उसके स्थान पर न्यायालय उठने तक के दण्डादेश एवं अर्थदण्ड में अभिबृद्धि करते हुए दोनों धाराओं में एक—एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया अर्थदण्ड समायोजित किया जावे।साथ ही आरोपी/अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह धारा 357 (3) द०प्र०स० के अनुसार 5000 (पांच हजार)रुपये प्रथृक से आहत हरीराम पुत्र गजाधर शर्म निवासी पिपरसाना तहसील गोहद जिला भिण्ड को भुगतान करे, जो विधिवत निगरानी/अपील अवधि उपरान्त जमा की जावे। अपील/निगरानी होने की दशा में अपील/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो।

20. अपीलार्थी / आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये गये ।

21 आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

22 प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष यथावत् रखा जाता है।

दिनांकः 5 अगस्त 2014 निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड